

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

रुचि की अभिव्यक्ति

हेक्सागोनल कैटीन संचालन हेतु



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
डुमना विमान तल मार्ग, पीओ: खमरिया
जबलपुर- 482005

कुल 14 पृष्ठ

टीप - किसी भी संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

दिनांक:

रुचि की अभिव्यक्ति

हेक्सागोनल कैंटीन (छात्रावास मार्ग के अनुरूप) संचालन हेतु जिसका कार्यक्षेत्र (अनुलग्नक 1), नियम व शर्तें (अनुलग्नक 2) के अनुसार 12 माह हेतु मुहरबंद रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है। रुचि की अभिव्यक्ति निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक 3) अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशंसापत्र और दस्तावेजों के साथ जो भी लागू हो, वचन पत्र (अनुलग्नक 4) और चेक लिस्ट (अनुलग्नक 5) के साथ **16-दिसंबर-2022** को या उसके पहले कार्यालय में उपलब्ध ईओआई बॉक्स में शाम 5:00 बजे तक जमा किया जायेगा।

इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बोली के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों के मूल के साथ संस्थान सभा कक्ष में **19-दिसंबर-2022** को प्रातः 10 बजे से संबंधित समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

कुलसचिव

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

1. कार्य क्षेत्र

1.1 चयनित फर्म को छात्रों और आगंतुकों के लिए पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर की हेक्सागोनल कैंटीन संचालन की अनुमति दी जाएगी।

1.2 आवंटन की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे संतोषजनक सेवाओं पर बढ़ाया जा सकता है।

1.3 बिक्री के लिए सभी ग्राहकों को एक कम्प्यूटरीकृत रसीद प्रदान करना होगा।

1.4 हेक्सागोनल कैंटीन रविवार को छोड़कर पूरे सप्ताह में प्रातः 9:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुलेगी। विशिष्ट दिनों में खोलने में असमर्थता के मामले में, चयनित फर्म को इसके लिए सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए अनुभाग) से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद, ऐसी प्रत्येक घटना के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

1.5 चयनित फर्म संस्थान द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अगले सात दिनों के भीतर हेक्सागोनल कैंटीन संचालन आरंभ करना होगा। यदि चयनित फर्म बिना किसी जानकारी के निर्धारित समय के भीतर हेक्सागोनल कैंटीन आरंभ करने में विफल रहती है, तो प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।

1.6 चयनित फर्म केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री और सेवा प्रदान करेगी जो समिति द्वारा अनुमोदित हैं। सूची में किसी भी नई सामग्री को जोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमोदन लेना होगा।

1.7 चयनित फर्म हेक्सागोनल कैंटीन के बाहर और अंदर उपयुक्त स्थान पर वस्तुओं की अनुमोदित दर सूची प्रदर्शित करेगी।

1.8 हेक्सागोनल कैंटीन में किसी भी वस्तु की बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• नियम एवं शर्तें

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर जिसे आगे संस्थान या अनुज्ञप्तिदाता के नाम से संबोधित किया जाएगा, नियम व शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी जिसे आगे चयनित फर्म से संबोधित किया जाएगा, को अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर सहमत होने पर चयनित फर्म को हेक्सागोनल कैंटीन संचालन के लिए 3000 रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) का मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

2.1 अनुबंध की अवधि 12 माह होगी - पहले 03 माह परिवीक्षा अवधि होगी, जिसकी संतुष्टि पर अनुबंध स्वचालित रूप से शेष अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। स्पष्ट 30 दिनों का नोटिस देने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान दोनों पक्षों द्वारा केवल 15 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

2.2 चयनित फर्म को आवेदन पत्र में पूर्ण स्थायी एवं वर्तमान पता देना होगा।

2.3 चयनित फर्म को संस्थान के साथ अनिवार्यतः एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तें, चयनित फर्म के लाइसेंस की शर्तें और चयनित फर्म की स्वीकृति का पत्र हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंध का एक हिस्सा होगा। अनुबंध हेतु आवश्यक स्टॉप पेपर की लागत चयनित फर्म द्वारा वहन की जाएगी।

2.4 चयनित फर्म, जिसका आवेदन/उम्मीदवारी स्वीकार की जाती है, को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे और प्रस्ताव तिथि से 07 दिनों के भीतर हेक्सागोनल कैंटीन संचालित करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में चयनित फर्म भाग पर किसी भी अपवचन, इनकार या देरी की स्थिति में, उसके आवेदन की स्वीकृति वापस ली जा सकती है और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2.5 निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मौजूदा विक्रेता, जो वर्तमान में संस्थान में कैंटीन/मेस सेवाएं चला रहे हैं, इस ईओआई के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

2 ए. सामान्य नियम एवं शर्तें

2ए.1 चयनित फर्म को ईओआई के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय मूल्य के अनुसार सभी दिनों में सभी वस्तुएं उपलब्ध करानी होगी।

2ए.2 एक प्राधिकृत व्यक्ति/समिति किसी भी समय सभी सेवाओं, सामग्री/उपकरणों की जांच करने और भोजन/खाद्य पदार्थों की जांच के लिए हेक्सागोनल कैंटीन का दौरा और निरीक्षण कर सकती है।

2ए.3 चयनित फर्म मक्खियों और कीड़ों से संरक्षित कांच से ढके शोकेस में सभी खाद्य पदार्थों को रखने की व्यवस्था करेगी। चयनित फर्म हाथ दस्ताने के साथ या चिमटे के साथ खाने की चीजों की सेवा करना भी सुनिश्चित करेगी।

- 2ए.4 संस्थान उधारी/हानि या चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 2ए.5 क्राँकरी और अन्य सेवारत वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए जैसा कि अधिकृत समिति/सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- 2ए.6 चयनित फर्म अपने स्वयं के खर्च पर हेक्सागोनल कैटीन में और उसके आसपास स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य है। संस्थान के किसी भी कर्मचारी को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 2ए.7 चयनित फर्म कैटीन चलाने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सीधे संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक शुल्क जो भी लागू हो, का भुगतान करेगी और कुलसचिव को प्रमाण के रूप में विवरण प्रस्तुत करेगी।
- 2ए.8 चयनित फर्म और संस्थान के बीच उत्पन्न विवाद के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम और चयनित फर्म पर बाध्यकारी होगा।
- 2ए.9 सभी कानूनी विवाद जबलपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
- 2ए.10 चयनित फर्म के पास हेक्सागोनल कैटीन संचालन हेतु पर्याप्त बर्तन, क्राँकरी एवं अन्य बुनियादी सुविधायें होनी चाहिये।
- 2ए.11 चयनित फर्म में हेक्सागोनल कैटीन में कम से कम चार कर्मचारी होने चाहिए। सेवा प्रदान करने का समय आमतौर पर अधिकतम 15 मिनट होता है। चयनित फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा का समय उक्त अवधि अधिक न हो।
- 2ए.12 चयनित फर्म को हेक्सागोनल कैटीन संचालन के दौरान सभी सुरक्षा उपाय करने होंगे और समय-समय पर एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को विधिवत अद्यतन रूप से रखना होगा। चयनित फर्म उसके द्वारा नियुक्त जनशक्ति की सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी।
- 2क.13 चयनित फर्म द्वारा नियोजित कर्मचारियों की आयु, चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन प्राप्त करना चयनित फर्म की जिम्मेदारी होगी।
- 2ए.14 चयनित फर्म हेक्सागोनल कैटीन में किसी भी संक्रमण या संक्रामक बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगी और समय-समय पर उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करेगी।
- 2ए.15 चयनित फर्म में काम करने के लिए किसी भी नाबालिग बच्चे को तैनात नहीं करेगी और श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी नियमों का पालन करेगी। ऐसा नहीं करने पर संस्थान द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 2ए.16 चयनित फर्म किसी भी प्रयोजन के लिए किसी अन्य एजेंसी को परिसर का एक हिस्सा या पूरा प्रदान नहीं करेगी।
- 2ए.17 चयनित फर्म यहाँ निर्धारित प्रयोजन से भिन्न क्रियाकलापों को करने में स्वयं को लिप्त नहीं करेगी।
- 2ए.18 चयनित फर्म किसी भी या सभी नुकसान के दावों के खिलाफ संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगी, जो चयनित फर्म के किसी भी कर्मचारी के कारण होगी।

- 2ए.19 चयनित फर्म अपने कर्मचारियों को एक महीने के भीतर सामान्य प्रशासन द्वारा अनुमोदित अपने स्वयं के खर्च पर पहचान पत्र और वर्दी प्रदान करेगी।
- 2ए.20 अनुबंध अवधि की समाप्ति या हेक्सागोनल कैंटीन संचालन हेतु अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद, चयनित फर्म अपने व्यवसाय को बंद कर देगी और हेक्सागोनल कैंटीन को खाली कर देगी। यदि वह हेक्सागोनल कैंटीन को खाली करने में विफल रहता है, तो संस्थान चयनित फर्म के जोखिम और लागत पर अपनी वस्तुओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 2ए.21 चयनित फर्म को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
- 2ए.22 चयनित फर्म के निष्पादन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और सामान्य प्रशासन अनुभाग/प्राधिकृत समिति द्वारा निगरानी की जाएगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संस्थान बिना कोई कारण बताए अपनी वैधता अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 2ए.23 ग्राहकों की सेवा में हेक्सागोनल कैंटीन द्वारा उत्पन्न कचरे का निपटान चयनित फर्म द्वारा संस्थान परिसर से बाहर किया जाएगा। कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा हेक्सागोनल कैंटीन के बाहर या परिसर के भीतर किसी भी क्षेत्र में कोई कचरा या बचा हुआ नहीं फेंका जाना चाहिए, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य को खतरा हो।
- 2ए.24 हेक्सागोनल कैंटीन के संचालन और खोलने/बंद करने का समय, के लिए सूचनाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- 2ए.25 चयनित फर्म सिविल पुलिस से अपने कर्मचारियों का सत्यापन कराएगी। किसी भी कर्मचारी/आगंतुक जिसके पास संस्थान द्वारा जारी सुरक्षा पास नहीं है, को संस्थान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2ए.26 चयनित फर्म द्वारा कम से कम त्रैमासिक आधार पर कीट/कृतक नियंत्रण किया जाना चाहिए और कैंटीन के नोटिस बोर्ड पर तारीख प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 2ए.27 चयनित फर्म को हेक्सागोनल कैंटीन चलाने के लिए प्रदान किए गए किसी भी स्थान सहित संस्थान परिसर के किसी भी हिस्से में अधिकार, शीर्षक या रुचि का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 2ए.28 चयनित फर्म परिसर में सबलेट/संशोधित या कोई परिवर्तन नहीं करेगी। संस्थान को अपने विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट स्थान को बदलने का पूरा अधिकार होगा। चयनित फर्म संस्थान प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना अंदरूनी हिस्सों का नवीनीकरण या परिवर्तन नहीं करेगी। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली लागत चयनित फर्म द्वारा वहन की जाएगी।
- 2ए.29 बेची जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं की सूची इस ईओआई दस्तावेज में संलग्न सूची के अनुसार है। विक्रेता सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना हेक्सागोनल कैंटीन में कोई भी वस्तु पेश नहीं कर सकता है। यदि कैंटीन में कोई अतिरिक्त वस्तु पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 2ए.30 चयनित फर्म कैंटीन समिति की अनुमति के बिना हेक्सागोनल कैंटीन के बाहर विज्ञापन (कार्य संबंधी अप्रासंगिक) प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं करेगी।

- 2ए.31 हेक्सागोनल कैंटीन में शराब, गुटखा, सिगरेट और ड्रग्स के उपयोग और बिक्री की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो चयनित फर्म तुरंत डीन (छात्र) / कुलसचिव को इसके बारे में सूचित करेगी।
- 2ए.32 चयनित फर्म सुझाव पुस्तिका का रखरखाव करेगी जिस पर सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा मासिक हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 2ए.33 चयनित फर्म सभी ई-भुगतान विकल्प जैसे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड भीम/यूपीआई/पेटीएम आदि प्रदान करेगी।

2 बी. शास्ति के नियम

- 2बी.1 चयनित फर्म को अनुबंध में तय की गई कीमत के अनुसार बिक्री करना होगा, ऐसा न होने पर चयनित फर्म पर रु. 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि चयनित फर्म सम्मत सूची की समस्त मदों को उपलब्ध नहीं कराती है तो इसे सेवा संविदा का उल्लंघन माना जायेगा तथा रु. 500 का ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए चयनित फर्म पर का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 2बी.2 यदि चयनित फर्म निर्धारित तिथि (अर्थात् प्रत्येक माह की 10 तारीख) तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहती है, तो लाइसेंस शुल्क का 10% जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 2बी.3 यदि हेक्सागोनल कैंटीन में एक्सपायरी डेट के उपरांत खाद्य सामग्री पाई जाती है, तो 2000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसी सभी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में तत्काल प्रभाव से अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
- 2बी.4 हेक्सागोनल कैंटीन में उचित स्वच्छता का पालन किया जाना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पहले चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। शर्तों की आवृत्ति और गंभीरता के आधार पर जुर्माना 500 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक भिन्न हो सकता है।
- 2बी.5 हेक्सागोनल कैंटीन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का विघटन अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। शर्तों की आवृत्ति और गंभीरता के आधार पर जुर्माना 500 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक भिन्न हो सकता है।

2 सी. अनुबंध अवधि

- 2सी.1 औपचारिक अनुबंध अनुसार अनुबंध की अवधि आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार यदि आवश्यक हो तो आगे की अवधि (अवधियों) के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- 2सी.2 चयनित फर्म द्वारा संविदा/करार अथवा उसमें किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निदेशक, पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर चयनित फर्म को लिखित रूप में निदेशक,

पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा यथासम्भव उचित समय का कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात संविदा की शेष अवधि के लिए संविदा रद्द कर सकते हैं। इस तरह के रद्द होने की स्थिति में चयनित फर्म की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि जब्त कर ली जाएगी। संस्थान के निदेशक का निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

2 डी. अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अन्य शुल्क

2डी.1 हेक्सागोनल कैंटीन आवेदक के अनुभव/क्रेडेंशियल्स और आवेदक के साथ कैंटीन समिति की व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर आवंटित की जाएगी। हेक्सागोनल कैंटीन के लिए लाइसेंस शुल्क 3000 रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) प्रति माह होगा।

2डी.2 चयनित फर्म जबलपुर में देय "पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर" के पक्ष में संस्थान द्वारा दिए गए प्रस्ताव के 10 दिनों के भीतर पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगी।

2डी.3 चयनित फर्म संस्थान से एमपीईबी जबलपुर द्वारा प्रभारित वाणिज्यिक दरों पर बिजली प्रभार का भुगतान करेगी और वर्तमान में यह 8.49 रुपये प्रति यूनिट है या संस्थान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर तय किया गया है। वर्तमान में जल हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तथापि, संस्थान में यथा लागू दरों पर भविष्य में जल प्रभार लिए जा सकते हैं।

2ई. अनुबंध की समाप्ति

2ई.1 यदि चयनित फर्म अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो संस्थान के पास अनुबंध को समाप्त करने की शक्ति होगी और उस स्थिति में 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) या उसके किसी भी हिस्से की प्रतिभूति जमा राशि संस्थान के विवेक पर जुर्माना / दंड के रूप में जब्त कर ली जाएगी।

2ई.2 यदि कैंटीन समिति संविदा अवधि के दौरान असंतोषजनक सेवाओं की रिपोर्ट देती है, तो चयनित फर्म को अपना औचित्य देने का अवसर देने के बाद संस्थान द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। ऐसी समाप्ति के कारण संस्थान को हुई हानि, यदि कोई हो, अनुज्ञप्तिधारी से वसूल की जाएगी। इस संबंध में पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

2ई.3 संस्थान के निदेशक लिखित रूप में एक महीने की सूचना देने के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समझौते को समाप्त कर सकते हैं।

2एफ. वेतन, कल्याण और भुगतान की शर्तें

- 2एफ.1 चयनित फर्म समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा लागू सभी श्रम कानूनों जैसे चिकित्सा व्यय, दुर्घटना लाभ, कर्मकार मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और अन्य कल्याणकारी उपायों और लागू अन्य वैधानिक नियमों का पालन करेगी।
- 2एफ.2 चयनित फर्म अपने स्वयं किसी भी दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो श्रम विभाग या किसी अन्य विभाग या कानून की अदालत द्वारा किसी भी नियम / कानून के उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है।
- 2एफ.3 किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं किया जाएगा।
- 2एफ.4 भारत सरकार/श्रम कानून/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नियमों के अनुसार सभी कार्यरत कर्मचारियों को सप्ताहांत अवकाश दिया जाए।
- 2एफ.5 चयनित फर्म को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सभी कार्यरत कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना होगा।
- 2एफ.6 ड्यूटी पर रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों/लोगों को (i) नशे की हालत में नहीं होना चाहिए (ii) अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले हो (iii) कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और (iv) स्वच्छता युक्त होना चाहिए।
- 2एफ.7 कर्मचारियों/लोगों द्वारा परिसर को निवास के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। अनुमोदित आधिकारिक समय से परे परिसर का उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए (जैसे माल प्राप्त करना, विघटन, इन्वेंट्री, आदि)
- 2एफ.8 प्रचालन कर्मचारियों का व्यवहार नरम और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।

अनुलग्नक 3

दिनांक

आवेदन प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव

पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर

महोदय/महोदया,

मुझे हेक्सागोनल कैंटीन संचालन में रूचि है। कृपया मेरी उम्मीदवारी पर विचार करें। मैंने कार्य क्षेत्र और अनुबंध के नियम और शर्तों को पढ़ा है एवं यदि मुझे हेक्सागोनल कैंटीन का अनुबंध दिया जाता है तो मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:.....

पिता का नाम:.....

वर्तमान पता:.....

स्थायी पता.....

.....

मोबाईल नं.:

संलग्न:

1.

2.

3.

वचनपत्र

1. मैं/हम वचन देते हैं कि मैंने सभी नियमों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के मापदंडों को समझा है और उनका पालन करेंगे।
2. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हमने "कार्य के संचालन के लिए मापदंड और तकनीकी विनिर्देशों" को समझ लिया है और इन मापदंडों के अनुसार कड़ाई से कार्य का संचालन करेंगे।
3. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि फर्म किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं है।
4. मैं/हम आगे यह वचन देते हैं कि इस ईओआई में दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है और हम इसके उत्तरदायित्व हेतु सहमत हैं।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

(फर्म की सील)

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पीओ खमरिया, जबलपुर - 482005

जाँच सूची

- मालिक का नाम:
- एजेंसी का नाम:
- कार्य क्षेत्र में अनुभव का विवरण (प्रतियां संलग्न करें)

क्रमांक	अवधि		संगठन	सेवाओं का विवरण
	कब से	कब तक		

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

- जीएसटी पंजीयन(संलग्न करें) (यदि लागू हो):
- पैन नंबर (संलग्न करें):
- फर्म/कैंटीन की पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें):
- कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या आवेदक सोल प्रोपराइटर / प्राइवेट लिमिटेड / साझेदारी फर्म है (इस मामले में भागीदार का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)।
- एफएसएसएआई लाइसेंस।

आवेदक के हस्ताक्षर

हेक्सागोनल कैंटीन के लिए खाद्य पदार्थों की सूची

क्रमांक	खाद्य सामग्री का नाम	वजन	मूल्य (रुपये में)
1.	समोसा	60 ग्राम/प्रति नग	08
2.	आलुबंडा	60 ग्राम	08
3.	भाजीबड़ा	60 ग्राम	08
4.	पोहा	150 ग्राम	10
5.	मैगी	150 ग्राम	30
6.	मसाला मैगी	150 ग्राम	35
7.	नूडल्स	150 ग्राम	30
8.	पास्ता	150 ग्राम	30
9.	आलू पैटीज	प्रति नग/80 ग्राम	15
10.	मसाला पैटीज	प्रति नग/80 ग्राम	15
11.	पनीर पैटीज	प्रति नग/80 ग्राम	20
12.	मिर्च पनीर	प्रति नग/80 ग्राम	40
13.	सादा डोसा	200 ग्राम	25
14.	इडली (2 नग)	200 ग्राम	25
15.	उत्तपम	200 ग्राम	30
16.	ढोकला	200 ग्राम	15
17.	वेज फ्राइड राइस	200 ग्राम	30
18.	जीरा राइस	200 ग्राम	30
19.	दही चावल	200 ग्राम	25
20.	शाकाहारी सैंडविच	प्रति नग/120 ग्राम	30
21.	आलू सैंडविच	प्रति नग/120 ग्राम	30
22.	सादा पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	10
23.	आलू पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	15
24.	मिक्स वेज पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	15
25.	गोभी पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	15
26.	प्याज का पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	15
27.	मेथी पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	20
28.	मटर पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	20
29.	मूली पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	20
30.	सेव पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	20
31.	पनीर पराठा	प्रति नग/120 ग्राम	25
32.	रोटी	80 ग्राम	05
33.	सादा चावल	250 ग्राम	25
34.	दाल तड़का	100 ग्राम	25
35.	सब्जी	150 ग्राम	30
36.	लंच थाली	प्रति थाली	60
37.	मसालेदार दाल	200 ग्राम	40

38.	मसाला डोसा	200 ग्राम	30
39	पनीर डोसा	250 ग्राम	50
40.	छोले भटूरे ((2)भटूरे)	350 ग्राम	40
41.	पाव भाजी	300 ग्राम	30
42.	कप नूडल्स	150 ग्राम	40
43.	वेज बिरयानी	200 ग्राम	35
44.	रायता	150 एमएल	15
45.	लस्सी	200 एमएल	20
46.	आम का रस	200 एमएल	20
47.	दूध	200 एमएल	20
48.	खिचड़ी	120 ग्राम	30
49.	चाय	100 एमएल	07
50.	कॉफी	100 एमएल	10
51.	ग्रीन टी	100 एमएल	10
52.	ब्रेड बटर (2 स्लाइस)	100 ग्राम	25
53.	उपमा	200 ग्राम	20
54.	वडा (2 नग)	120 ग्राम	25